न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 98/2018 **दायरा दिनांक : 25.06.2018**

उनवान

1— रामप्यारी पत्नी मथुरालाल पुत्री नारायण, जाति माली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— रामचरण पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मंगली बेवा श्रवण पुत्री गोपाल, जाति माली, निवासी रावल—जावल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मदनगोपाल केवड़ा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.06.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 15/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्तनीय है । ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में कुल 10 किता रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है । जिसका हाल रकबा 10 किता 4.48 हेक्टर है । यह भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2063–66 में नारायण पुत्र घासी के नाम दर्ज है तथा जैसा पूर्व जमाबंदी सम्वत 2005–2008 में दिखाया गया है, में यह भूमि काल्या पुत्र तुलसी के नाम बतायी गई है, किन्तु इसके बाबत कोई जमाबंदी पेश नहीं की गई, केवल मात्र वाद पत्र की मद नं. 3 में काल्या पुत्र तुलसी का सजरा दिया गया है, जिसमें काल्या के एक पुत्र गोपाल बेवा कंवरी बाई तथा गोपाल की पुत्र मंगली बतायी है । वाद पत्र की मद नं. 4 में यह कथन किया गया है कि गोपाल की मृत्यु काल्या के जीवनकाल में हो गई थी और काल्या भी फौत हो गया । राजस्व कर्मचारियों ने इंतकाल नं. 2214 खोला जो कंवरी बेवा काल्या के नाम से खोला गया । कंवरी बेवा काल्या फोत हो गयी । उसके बाद इंतकाल नम्बर 68 दिनांक 01.08.1967 से यह भूमि नारायण पुत्र घासी के नाम दर्ज की गई जो ग्राम बडगांव तहसील

अन्ता का रहने वाला था तथा इंतकाल जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा से खोला गया तथा 1967 से लगातार यह भूमि नारायण के नाम चली आ रही है तथा वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी पर नारायण के वारिसान के कब्जे काश्त में है । कंवरी ने अपनी वसीयत दिनांक 24.03.1962 में यह बताया था कि उसके कोई वारिस नहीं है न ही उसकी कोई सुल्भी संतान है तथा इसी आधार पर इंतकाल नम्बर 68 जो रजिस्टर्ड वसीयत से खोला गया था के आधार पर नारायण के नाम पर यह भूमि दर्ज की गई जिसे 70 वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी में चलती है एवं दिनांक 16.05.2018 को केम्प मऊ में बिना प्रतिवादी से जिरह किये पत्रावली में निर्णय सुना दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.05.2018 की डिक्री अभी तक नहीं बनायी है इस कारण आदेश 20 नियम 6 (क)(2) दी. प्र. सं. के तहत निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री मानकर यह अपील पेश की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 को अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली से यह तथ्य विदित है कि पत्रावली में निर्णय करते समय सी. पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई व प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने से वंचित रखा गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा